न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00011)

1. किड़ीदेवी धर्मपत्नि श्री पृथ्वीराज
2. भीमसैन | पुत्रगण श्री पृथ्वीराज
3. प्रभुराम |

जाति मेघवाल निवासी बणी, तहसील रानिया, हाल आबाद चक 91 आरडी, ग्राम पंचायत खेतावाली ढाणी (99 आरडी) तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये जिला कलैक्टर हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत खेतावाली ढाणी (चक 99 आरडी) पंचायत समिति, रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ– जरिये संरपच
3. तहसीलदार (राजस्व) रावतसर,

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक अपीलान्ट्स

निर्णय **दिनांकः 10.12.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आरक्षण आदेश क्रमांकः–एफ.12 (3) (62) राज/09/606 दिनांक 16.02.2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ के आरक्षण आदेश क्रमांकः–एफ.12 (3) (62) राज/09/606 दिनांक 16.02.2010 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील प्रस्तुत की गई। क्षेत्राधिकार परिर्वतन होने के कारण राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना नं. 1 (17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 की पालना में राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह अपील इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की गई है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2010 को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट के निमित नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करने

हेतु तलबी पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 2 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं एवं लिखित बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की चक 91 आर. डी. तहसील रावतसर के पत्थर नम्बर 133/407 (40) किला नं. 9 से 13, 18 से 21 व नम्बर 132/407 (41) किला नं. 15,16, 25 कुल 2.542 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि है। यह चक ग्राम पंचायत खेतावाली ढाणी (चक 99 आर.डी.) तहसील रावतसर के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अपीलान्ट की उक्त कृषि भूमि के चिपते पत्थर नम्बर 133/407 (40) किला नं. 8/1 में 0.126 हैक्टेयर कमाण्ड अराजीराज स्मालपैच के रूप में राजस्व अभिलेख दर्ज थी। यह भूमि अपीलान्ट की भूमि के चिपते हुए होने कारण वर्तमान में चल रहे राजस्व अभियान " न्याय आपके द्वार " में उक्त भूमि को स्माल पेच में आवटन करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के आशय से अपीलान्ट ने अपनी कृषि भूमि की जमाबंदी व उक्त किला नं. 8/1 की 0.126 हेक्टेयर की जमाबंदी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.05.2015 को पटवारी हल्का से प्राप्त की तो अपीलान्ट को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि राजस्व अभिलेख मे यह भूमि कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का से इन्तकाल संख्या 356 की चित्रप्रति से अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2010 की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की स्थिति सही ढंग से जायजा नही लिया तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने अपने प्रार्थना पत्र एवं प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 05.02.2009 में मौके की स्थिति एवं महत्वपूर्ण तथ्यो को छिपाया है। प्रशनगत भूमि अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारो की कृषि भूमि के मध्य स्थित लधुखण्ड (स्माल पैच) की कमांड भूमि थी जो राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न. प.) क्षेत्र में आवटन एवं विक्रय नियम 1975 के प्रावधानो के अनुसार आबटन योग्य भूमि थी तथा इस भूमि को स्मालपैच में आबटंन न किये जाने से राजकीय कोष प्रभावित हुआ है। ग्राम पंचायत खेतावाली ढाणी (99 आरडी) की आबादी भूमि के चिपते दक्षिणी तरफ पत्थर नं. 130/413 (22) किला नं. 6 व 15

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कुल 2 बीघा भूमि कब्रिस्तान के लिये पहले से आरक्षित है। ग्राम पचायत ने इन तथ्यो को अपने प्रस्ताव में छिपाया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित काश्तकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ना ही आपत्ति नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट्स उक्त अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। उक्त कब्रिस्तान को आबटित भूमि के चारो ओर अपीलान्ट व अन्य खातेदारो की कृषि भूमि है। उपरोक्त 0.126 हैक्टेयर भूमि तक कोई रास्ता भी मौके पर विधमान नही है। रास्ता के अभाव में उक्त भूमि को आरक्षित किये जाने का कोई औचित्य नही है। उक्त कब्रिस्तान हेतु आंबटित भूमि को आज तक उपयोग में नही लिया गया है, ना ही इसकी आवश्कता है जो आज भी खाली पड़ी है। अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे, अपीलाधीन आदेश उनकी उपस्थिति में पारित नही किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मियाद दफा 5 के प्रार्थना का जवाब रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई कांउटर शपथ पत्र पेश नही किया है। ऐसे अपीलान्ट्स की अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.02.2010 को अपास्त फरमाया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ के आरक्षण आदेश क्रमांकः–एफ.12 (3) (62) राज/09/606 दिनांक 16.02.2010 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2010 को अपास्त करने का निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा तहसीलदार (राजस्व) रावतसर के पत्र क्रमांक भू. अ./09/1620 दिनांक 03.11.2009 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव तथा उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रावतसर के पत्रांक रीडर/09/1573 दिनांक 08.12.2009 से प्राप्त अनुशंषा के आधार पर चक 91 आर.डी के पत्थर नम्बर 133/407 के किला नम्बर 8/.126 हैक्टर कमाण्ड आराजीराज भूमि को कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

16.02.2010 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2010 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर